न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–05/2013 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कुन्दन पुत्र मामला जाति मेव – मृतक
   1/1. मु0 सुफेदी बेवा मरहूम कुन्दन,
   1/2. मु0 जैतूनी बेवा मरहूम कुन्दन,
   1/3. हनीफ खां पुत्र मरहूम कुन्दन,
   1/4. काली पुत्री मरहूम कुन्दन जाति मेव निवासीयान ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर ।

..... अपीलांट/वादीगण

बनाम

1. रहमान पुत्र चॉदमल,
2. दुल्ला पुत्र चॉदमल,
3. कमरू खां पुत्र उम्मेद जाति मेव निवासीयान ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर

..... प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री शैलेन्द्र भार्गव अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.01.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद दुरूस्ती बाबत इन्द्राज व नक्शा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर में स्थित आराजी ख0 नं0 242 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा का वादी काबिज काश्तकार था । ख0 न0 242 मिन रकबा के प्रतिवादी सं0 1 व 2 1/2 भाग के व 1/2

30/1/19

भाग के प्रतिवादी सं0 3 काबिज काश्तकार खातेदार हैं तथा इसी प्रकार कागजात माल में अमल हो रहा है । बन्दोबस्त विभाग अलवर ने आराजी ख0 नं0 साबिक 242 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के हाल ख0 नं0 398 रकबा 89 ऐयर, 399 रकबा 10 ऐयर कायम किया है जो कि गलत है जबकि वादी आराजी ख0 नं0 हाल 401 रकबा 36 ऐयर, 402 रकबा 31 ऐयर, 404 रकबा 31 ऐयर पर काबिज है और इसी तरह से मौके पर कब्जा है । बन्दोबस्त विभाग ने ख0 नं0 401 रकबा 18 ऐयर, 404 रकबा 18 ऐयर कायम किया है जबकि मौके पर यह नम्बर 31–31 ऐयर के हैं । बन्दोबस्त विभाग अलवर ने आराजी ख0 नं0 साबिक 242 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के हाल ख0 नं0 400 रकबा 7 ऐयर, 401 रकबा 36 ऐयर, 402 रकबा 18 ऐयर, 404 रकबा 18 ऐयर, 405 रबा 1 ऐयर का इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम का किया है जबकि प्रतिवादीगण मौके पर आराजी ख0 नं0 हाल 398, 399, 400, 403, 405 पर काबिज हैं और इसी प्रकार से मौके पर कब्जा है । अतः हाल ख0 नं0 398, 399, 400, 403, 405 प्रतिवादी के नाम दर्ज किया जावें । कागजात हाल बन्दोबस्त में जो ख0 नं0 398 रकबा 89 ऐयर दर्ज किया है उसे 47 ऐयर दर्ज किया जावें, 399 रकबा 10 ऐयर के स्थान पर 7 ऐयर, 400 रकबा 7 ऐयर के स्थान पर 10 ऐयर, 402 रकबा 18 ऐयर के स्थान पर 31 ऐयर, 403 रकबा 18 ऐयर के स्थान पर 31 ऐयर, 404 रकबा 18 ऐयर के स्थान पर 31 ऐयर व 405 रकबा 1 ऐयर के स्थान पर 3 ऐयर दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार से नक्शा बन्दोबस्त हाल दुरूस्त किया जाकर वाद वादीगण डिक्री करने का अनुरोध किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने इकबाल दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 19.11.2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 19.11.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये । इसलिए तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस व मौखिक बहस में कथन किया कि नक्शा शीट ग्राम कैमाला सम्वत् 2020 से 33 तक यह तथ्य साबित है कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 242 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा एक शामिल नम्बर था जिसमें कोई तकासमा दर्शित नहीं है और न कोई तितम्बा कटा हुआ दर्शित है । बन्दोबस्त विभाग ने जो नक्शा ट्रेस सम्वत् 2051 में कायम किया गया वह प्रदर्श–2 है जिसमें बन्दोबस्त विभाग द्धारा उक्त अविभाजित साबिक ख0 नं0 242 के 8 नये नम्बर कायम किये गये जिसमें से नवीन ख0 नं0 398 रकबा 0.89 है0 व 399 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 99 ऐयर वादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया तथा शेष नये खसरा नम्बरान किता 6 ख0 नं0 400 ल0 405 कुल रकबा 98 ऐयर प्रतिवादी की खातेदारी में अनियमित रूप से दर्ज कर दिये गये । बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2045–48 एक्जी. 6 व एक्जी. 7 तथा बन्दोबस्त के बाद जमाबन्दी सम्वत् 2056 ल0 59 एक्जी. 4 व 5 से उक्त तथ्य भली भांति साबित है ।

30/1/14

बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट कमिश्नर पर भी गौर नहीं किया जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त का स्पष्ट उल्लेख है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावे पर भी ध्यान नहीं देकर कानूनी त्रुटि की है । अपीलांट अभिभाषक का बहस में मुख्य तर्क यह है कि बन्दोबस्त विभाग ने अपीलांट व रेस्पो0 के साबिक ख0 नं0 242 मिन के अलग–अलग खसरा नम्बरान कायम किये हैं जो गलत हैं तथा अलग–अलग खातेदारी प्रदान की है वह भी गलत है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1996 पेज 457, आर.आर.टी. 2017 पेज 665 व आर.आर.टी. 2016 `ज 374 प्रस्तुत की ।

हमने विद्धान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2012 का अवलोकन किया । प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0 नं0 242 मिन रकबा 3.18 बीघा के अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0 नं0 242 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा से 398 रकबा 0.89, 399 रकबा 0.10 ऐयर किता 2 कुल रकबा 0.99 है0 कायम हुए हैं । अन्य साबिक ख0 नं0 242 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा से हाल ख0 नं0 400 रकबा 0.07, 401 रकबा 0.36, 402 रकबा 0.18, 403 रकबा 0.18, 405 रकबा 0.01 किता 6 कुल रबा 0.98 है0 कायम किये हैं । जमाबन्दी सम्वत् 2045–48 के अंकन अनुसार अपीलांट के पिता कुन्दन के नाम अलग से खातेदारी है तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 में उसके विधिक वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज है । इसी प्रकार के अंकन प्रतिवादी के वारिसान की है तथा बन्दोबस्त ने जो नये नम्बर कायम किये हैं उसी अनुसार खातेदारी प्रदान की है ।

जहां तक साबिक नक्शा ट्रैस का प्रश्न है, उसमें जब किसी प्रकार की तरमीम नहीं है कि वक्त आवंटन मौके पर कहां कब्जा दिया है और कहा पर तरमीम करायी है तो अपीलांट की प्रार्थना मौके के विरूद्ध व रेकार्ड के खिलाफ पायी जाती है । अपीलांट अभिभाषक अपने इस कथन को नियमों के तहत अवगत नहीं करा सकें कि बन्दोबस्त विभाग साबिक खसरा नम्बरों को उनके कब्जे के आधार पर अलग–अलग खसरा नम्बर कायम क्यों नहीं कर सकते हैं ।

चूंकि अपीलांट की यह प्रार्थना भी नहीं है कि अलग–अलग खातेदारी गलत प्रदान की है । केवल यह कथन की अलग–अलग नम्बर कायम नहीं कर सकते हैं, मान्य नहीं है ।

इसलिए अपीलांट/वादी की प्रार्थना रेकार्ड व मौके से भिन्न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है । तहत न्यायालय ने इस संबंध में सही व्याख्या की है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

30/11/19

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2012 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर